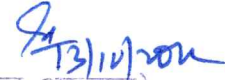


भाग-IV
(नोडल अधिकारी या प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रति कुछ टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाँच और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय।	17	खण्डवा जिले के अंतर्गत वन मंडल, खण्डवा में मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा विकसित एवं संचालित सैलानी रिसोर्ट हेतु 11 के.व्ही. विद्युत लाईन में प्रभावित 0.2681 हेक्टेयर वनभूमि कार्यपालन यंत्री, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, पर्यटन भवन, भदभदा रोड़, भोपाल, मध्यप्रदेश को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	----	--

तिथि: 13/10/2022

स्थान: भोपाल


(सुनील अग्रवाल)
भा.व.सं.
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल